राष्ट्रीय संस्करण

# दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 252

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 18 फरवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

फाफ डुप्लेसिस ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ी

>> 14

## सरोकार

### एयर वेंट्स तकनीक से सींच रहे धरती की कोख

**प्रयागराज** : मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज ने भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाने की दिशा में सफल प्रयोग किया है। 'रिचार्ज वेल विद एयर वेंट्स' नामक इस युक्ति से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पुरानी पद्धति के मुकाबले डेढ़ गुना अधिक वाटर रिचार्ज होता है। (पेज-11)

## जागरण विशेष

### करियर पर निशाना लगा रहीं बीहड़ की बेटियां

**भिंड** : मध्य प्रदेश के चंबल के बीहड़ अब बदल रहे हैं। ये बीहड़ अब ऐसी युवा पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, जो बंदूक के शौक से पहले की तरह बीहड़ को बदनाम नहीं, बल्कि इसके जरिये ही अपना भविष्य संवार देश को गौरवान्वित करेगी। (पेज-11)

## न्यूज गैलरी

**नेशनल कैपिटल** ▶ पृष्ठ 2

### केजरीवाल ने अपने पास नहीं रखा कोई विभाग

**नई दिल्ली** : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। केजरीवाल ने कोई भी विभाग अपने पास नहीं रखा है। जल बोर्ड को अब तक मुख्यमंत्री संभाल रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने इसे सत्येंद्र जैन को सौंप दिया है। गोपाल राय को पर्यावरण विभाग का जिम्मा सौंपा गया है।

**राज-नीति** ▶ पृष्ठ 4

### 14 साल बाद बाबूलाल मरांडी की घर वापसी

**रांची** : झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सोमवार को भाजपा में वापस लौट आए। 2006 में उन्होंने भाजपा छोड़कर झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया था। हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद बाबूलाल मरांडी की वापसी की कवायद शुरू हुई थी।

**नेशनल न्यूज** ▶ पृष्ठ 5

### यूपीपीएससी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में 6320 अभ्यर्थी सफल

**प्रयागराज** : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 6320 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए हैं। आयोग की ओर से कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट सात अलग-अलग ग्रुपों में जारी किया है। इसी के साथ एसीएफ व आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा का भी परिणाम जारी किया गया है।

**अंतरराष्ट्रीय** ▶ पृष्ठ 13

### कोरोना का साया चीन के संसद सत्र पर भी, 105 और मरे

**बीजिंग** : कोरोना वायरस की महामारी की छाया चीन के संसदीय सत्र पर पड़ती दिख रही है। सरकारी मीडिया की मानें तो पांच मार्च को होने वाले संसदीय सत्र को स्थगित किया जा सकता है। उधर, चीन में सोमवार को 105 और लोगों की वायरस संक्रमण के चलते मौत हो गई।

# सेना में महिलाओं को मिलेगा स्थायी कमीशन

**सुप्रीम आदेश** ▶ सरकार को मिली तीन माह की मोहलत, कमांड नियुक्ति पर भी होगा विचार

### महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए मानसिकता बदलने की जरूरत : कोर्ट

**माला दीक्षित, नई दिल्ली**

नारी सशक्तीकरण की दिशा में 17 फरवरी की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना में लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने सरकार से तीन महीने के भीतर शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) की सभी महिला अधिकारियों को स्थायी (परमानेंट) कमीशन देने को कहा है। स्थायी कमीशन का विकल्प देते समय महिला अधिकारियों की नौकरी की अवधि मायने नहीं रखेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि 14 साल की नौकरी पूरी कर चुकी या 20 साल की नौकरी पूरी कर चुकी सभी महिला अफसर फैसले के दायरे में आएंगी।

ऐतिहासिक आदेश में कोर्ट ने महिलाओं के लिए कमांड पोस्टिंग के भी दरवाजे खोले हैं। कोर्ट ने कहा है कि वैसे तो यह नीतिगत मसला है और सक्षम अथॉरिटी प्रत्येक मामले के आधार पर निर्णय लेगी लेकिन महिलाओं को कमांड पोस्ट देने पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। अतार्किक भेदभाव बराबरी के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सेवारत 1,653 महिला सैन्य अधिकारियों को फायदा होगा।

कोर्ट ने महिला सैन्य अधिकारियों की क्षमता को लेकर सवाल उठाने वाली सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि सेना में वास्तविक समानता लाने के लिए सोच बदलने की जरूरत है। कोर्ट ने अपने आदेश में 11 महिला सैन्य अधिकारियों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि महिला होने के आधार पर उनकी क्षमता पर सवाल उठाना न सिर्फ उनकी महिला होने की गरिमा का निरादर है, बल्कि भारतीय सेना के सदस्य का भी निरादर है।

सेना में महिला अधिकारियों के लिए आगे का रास्ता खोलने वाला यह अहम फैसला न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने दिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन एसएससी महिला अधिकारियों को इस आदेश के अनुपालन में स्थायी कमीशन मिलेगा वे सभी संबंधित लाभों को पाने की अधिकारी होंगी। कोर्ट ने साफ किया है कि ये लाभ उन सभी महिला अधिकारियों को मिलेंगे जो अभी सेवा में हैं या जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी।

हाई कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती पेज>> 6
रंग लाया अनुपमा का संघर्ष पेज>> 7
कांग्रेस और भाजपा ने किया स्वागत पेज>> 7

गर्भावस्था, प्रसव और परिवार की जिम्मेदारियों के लिए लंबी छुट्टी का तर्क देकर महिलाओं को बराबरी से दूर रखना इस घोर रूढ़िवादी सोच का प्रतीक है कि घर की जिम्मेदारी केवल महिलाओं की है। इसमें यह सोच भी झलकती है कि महिलाएं कमजोर होती हैं और मुश्किल काम नहीं कर सकती हैं। - **जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़**

नई दिल्ली में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय सेना की कमीशन अधिकारी (बाएं से) अंजली बिष्ट, सीमा सिंह और संध्या यादव ने विक्ट्री का निशान बनाकर खुशी जाहिर की। एएनआइ

#### परमानेंट कमीशन (पीसी)

- परमानेंट कमीशन (पीसी) का अर्थ है सेवानिवृत्त तक सेना में नौकरी।
- सेवानिवृत्ति की आयु संबंधित व्यक्ति के पद पर निर्भर होती है।
- पीसी से भर्ती व्यक्ति को शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाने की अनुमति नहीं होती।
- वैध कारण बताते हुए समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आवेदन किया जा सकता है।
- पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 20 साल की नौकरी करनी होती है।

#### शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी)

- एसएससी के तहत 10 साल के लिए सेना में नियुक्ति होती है।
- इसके बाद चार साल के अतिरिक्त कार्यकाल का भी विकल्प मिलता है।
- इस चार साल की अवधि में जरूरत पड़ने पर कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं।
- कुछ मामलों में 14 साल के बाद भी नौकरी में रहने का विकल्प मिलता है।
- विभिन्न मानकों के आधार पर परमानेंट कमीशन का भी रास्ता खुलता है।

#### अदालत ने यह भी कहा

- शारीरिक क्षमता की दलील के आधार पर महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं देना वेतुका
- कई शौर्य व सेना पदक जीत अपनी क्षमता साबित कर चुकी हैं महिलाएं

#### फैसले की अहम बातें

- स्थायी कमीशन का विकल्प नौकरी कर रही सभी एसएससी महिला अधिकारियों को दिया जाएगा।
- 14 साल से ज्यादा समय से नौकरी कर रही और स्थायी कमीशन का विकल्प नहीं लेने वाली महिला अधिकारी 20 साल तक नौकरी में रह सकेंगी, ताकि पेंशन की पात्रता मिल जाए।
- वन टाइम मेजर के तहत पेंशनेबल सर्विस होने तक नौकरी में बने रहने का विकल्प उन सभी एसएससी महिला अफसरों को मिलेगा जिनकी 14 साल से ज्यादा की नौकरी हो गई है और जिन्हें स्थायी कमीशन में नहीं नियुक्ति दी गई।
- एसएससी महिला अफसर जिनकी नौकरी 20 साल से ज्यादा हो गई है और स्थायी कमीशन नहीं मिला, वे नीति के मुताबिक पेंशन पर रिटायर होंगी।
- स्थायी कमीशन का विकल्प चुनते समय महिला अधिकारी के लिए भी चॉइस ऑफ स्पेशलाइजेशन और शर्तें रहेंगी।

## वोडाफोन सिर्फ 3,500 करोड़ रुपये एजीआर बकाया चुकाने में समर्थ

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली** : देश की प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी वोडाफोन ने एक तरह से यह साफ कर दिया है कि मौजूदा हालात में उसके लिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) मामले में 50 हजार करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करना संभव नहीं है। कंपनी की तरफ से सोमवार को महज 2,500 करोड़ रुपये तत्काल और कुछ दिन बाद 1,000 करोड़ रुपये के भुगतान की अर्जी दी गई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

भारती एयरटेल ने 10 हजार करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। टाटा समूह की टाटा टेलीसर्विसेज ने भी 2197 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इस तरह से देखा जाए तो दूरसंचार कंपनियों पर एजीआर के तौर पर बकाये 1.47 लाख करोड़ रुपये की राशि में से महज 14,700 करोड़ रुपये सरकार के पास आए हैं। इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक टेलीकॉम कंपनियों के इस संकट पर पैनी नजर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ, दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सूत्रों का कहना है कि अगर कंपनियों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 17 मार्च को होने वाली सुनवाई तक पूरा भुगतान नहीं किया, तो उनकी बैंक गारंटी जब्त करने के कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया था सख्त रुख पेज>> 6

# प्रदर्शन का हक, लेकिन यह सड़क पर न हो : सुप्रीम कोर्ट

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया है कि सार्वजनिक स्थल या सड़क को बाधित करके विरोध-प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। लोगों को विरोध-प्रदर्शन का मौलिक अधिकार है, लेकिन ये सड़क या सार्वजनिक स्थल पर कैसे हो सकता है। इससे अव्यवस्था पनपती है। प्रदर्शन के अधिकार और सड़क प्रयोग करने वाले आम आदमी के अधिकार के बीच संतुलन कायम करने की जरूरत है।

जस्टिस संजय किशन कौल और केएम जोसेफ की खंडपीठ ने सोमवार को यह टिप्पणियां दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में जारी धरना-प्रदर्शन को लेकर कीं। अदालत शाहीन बाग में 60 दिन से ज्यादा समय से चल रहे धरना-प्रदर्शन को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि इसका हल निकालने की जरूरत है। प्रदर्शन एक निश्चित स्थान पर हो सकता है। इसके लिए वैकल्पिक जगह चिह्नित की जा सकती है। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े से कहा है कि वह शाहीन बाग जाकर प्रदर्शनकारियों से मिलें और बातचीत कर हल निकालें। कोर्ट ने वकील संजय हेगड़े को वकील साधना रामचंद्रन और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला का सहयोग लेते हुए शाहीन बाग जाकर लोगों से बातचीत कर हल निकालने का समय देते हुए सुनवाई 24 फरवरी तक के लिए टाल दी।

इससे पहले अदालत ने कहा कि सड़क को कैसे बंद किया जा सकता है। यह उनकी सबसे बड़ी चिंता है। जस्टिस कौल ने कहा कि आज एक समूह सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है और सड़क बाधित है। कल को हो सकता है कि कोई दूसरा वर्ग किसी दूसरी चीज को लेकर विरोध जताते हुए दूसरी सड़क या गली बंद कर दे। कहीं तो इसका अंत होगा। कोर्ट की यही सबसे बड़ी चिंता है। प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार है, लेकिन लोगों के आने-जाने और परिवहन के भी अधिकार हैं। ऐसे में दोनों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में वह बहुत सीमित दायरे में यानी सिर्फ सड़क बाधित करने के पहलू पर ही विचार कर रहा है।

दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने प्रयास नहीं किए, लेकिन प्रदर्शनकारी महिलाओं और बच्चों की आड़ लिए हैं जिसके कारण कड़ी कार्रवाई करने से अधिकारी कतरा रहे हैं। जबकि अधिकारियों ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और शाहीन बाग की मस्जिदों के मौलवियों से बातचीत कर हल निकालने की कोशिश की थी। वहां पूरी तरह रास्ता बंद है। पूरे शहर को बंधक बना रखा है।

**मेहरा ने कहा-ऐसा संदेश न जाए कि उनके आगे हम घुटनों पर आ गए हैं** : मेहता ने खंडपीठ से कहा, 'मैं नहीं चाहता कि यह संदेश जाए कि हम उनको हटाने के लिए उनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। उन्हें मनाने के लिए हर संस्था उनके सामने घुटनों के बल आ गई है।' इस पर खंडपीठ ने मेहता से प्रदर्शन करने के लिए वैकल्पिक स्थान देने के बारे में पूछा। तभी भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर और दो अन्य याचिका कर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि वहां सब बंद नहीं है। इसका विरोध करते हुए मेहता ने कहा, नहीं सब पूरी तरह बंद है।

मध्यस्थों से बातचीत के लिए शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी तैयार पेज>> 5

#### शाहीन बाग मामला

- प्रदर्शन स्थल बदलने को तीन मध्यस्थों संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्लाह को किया नियुक्त
- अगली सुनवाई 24 को, खंडपीठ ने सरकारी वकील से पूछा, क्या प्रदर्शन को वैकल्पिक जगह मिलेगी

सुप्रीम कोर्ट फाइल

लोकतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति पर काम करता है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं और बाध्यताएं हैं। हमें चिंता इस बात की है कि अगर सभी ने सार्वजनिक क्षेत्रों को बाधित करना शुरू कर दिया तो यह कहां पर जाकर खत्म होगा।

-जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की खंडपीठ

हमने अपनी राय दे दी और उम्मीद करते हैं कि इसका हल निकलेगा। अगर कुछ नहीं हो पाता तो हम इसे संबंधित प्रशासन पर छोड़ देंगे।

-जस्टिस केएम जोसेफ की टिप्पणी

# भारत से लौटाई गईं ब्रिटिश सांसद डेबी अब्राहम्स

**नई दिल्ली, एजेंसियां** : जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध कर चुकी ब्रिटेन की विपक्षी सांसद डेबी अब्राहम्स (डेबोराह एंजेला एल्सपेथ मेरी अब्राहम्स) को सोमवार की सुबह नई दिल्ली स्थित आइजीआइ एयरपोर्ट पहुंचने पर तत्काल वापस लौटा दिया गया। लेबर पार्टी की डेबी ने दावा किया है कि उनके पास वैध वीजा होने के बावजूद उन्हें वापस दुबई प्रत्यर्पित किया गया। जबकि भारत के गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उन्हें समय रहते ही उनका ई-वीजा रद किए जाने की जानकारी दे दी गई थी। इसके बावजूद उन्होंने भारत आने की जहमत उठाई।

डेबी अब्राहम्स (59) ब्रिटेन में कश्मीर पर सर्वदलीय संसदीय समूह की अध्यक्ष हैं। उनकी दलील है कि वह भारत में अपने परिवार और मित्रों से मिलने वैध ई-वीजा पर भारत आई थीं। लेकिन एक साल के लिए जारी किया गया उनका वीजा, आगामी अक्टूबर तक वैध होने के बावजूद बिना किसी स्पष्टीकरण के रद कर दिया गया। इस सिलसिले में ब्रिटिश उच्चायोग की प्रवक्ता ने बताया कि वह सांसद डेबोराह पर भारत में प्रवेश पर मनाही के संबंध में भारतीय प्रशासन के संपर्क में हैं। उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर काउंसलर एक्सेस भी दिया गया था। इस विवाद पर गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि ब्रिटिश सांसद का वीजा रद किए जाने के बाद उन्हें इस बात की जानकारी दी गई थी और वह यह सब जानते हुए भी दिल्ली पहुंच गईं।

13 फरवरी से पहले इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी : डेबी पेज>> 6

- अब्राहम्स का आरोप-वैध वीजा होने पर भी दिल्ली से दुबई किया डिपोर्ट
- जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का सांसद ने किया था विरोध

सोमवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पहुंची ब्रिटिश सांसद डेबी अब्राहम्स को तत्काल वापस लौटा दिया गया। एपी

### राकांपा ने किया भीमा-कोरेगांव मामले की समानांतर जांच का एलान

**मुंबई** : महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में दरार दिखने लगी है। सरकार में शामिल राकांपा ने सोमवार को कहा कि पार्टी नेता और गृह मंत्री अनिल देशमुख यलगार परिषद भीमा-कोरेगांव मामले की विशेष जांच दल (एसआइटी) के जरिये समानांतर जांच के तौर-तरीके तय करेंगे। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार ने इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को सौंपने को मंजूरी प्रदान कर दी थी। अगर समानांतर जांच हुई तो अलग-अलग निष्कर्षों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच भी तनाव बढ़ सकता है। (पेज-3)

### साप्ताहिक अवकाश के लिए हाई कोर्ट पहुंचे हरियाणा के पुलिसकर्मी

**चंडीगढ़** : साप्ताहिक अवकाश के लिए हरियाणा के पुलिसकर्मियों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सोमवार को हाई कोर्ट ने इसे प्रशासनिक विषय करार देते हुए इस मामले में किसी भी तरह का आदेश जारी करने से इन्कार कर दिया। साथ ही याची को इस विषय को सरकार के सामने उठाने का निर्देश दिया। बता दें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने 2017 में पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा कर दी थी, लेकिन इसे आज तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। (पेज-4)

### निर्भया के दोषियों के लिए फिर डेथ वारंट जारी, तीन मार्च को होगी फांसी

**नई दिल्ली** : निर्भया कांड के दोषियों के खिलाफ तीसरी बार डेथ वारंट जारी हुआ है। सोमवार को निर्भया के परिजनों और दिल्ली सरकार की अर्जी पर पटियाला हाउस की एक अदालत ने चारों दोषियों को तीन मार्च की सुबह छह बजे फांसी देने का आदेश जारी किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोषी मुकेश की तरफ से बताया गया कि वह नहीं चाहता है कि अब अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर उसका प्रतिनिधित्व करें। इस पर वृंदा ग्रोवर ने अदालत से अपील की कि उन्हें इस केस से मुक्त किया जाए। (पेज-5)

## तैयारी

सेना के तीनों अंगों को मिलाकर थिएटर कमान बनाने की योजना, अगले साल के मध्य तक अस्तित्व में आ जाएगा एयर डिफेंस कमान, युद्ध के हालत में तीनों सेनाओं के बीच होगा बेहतर समन्वयन

# सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए बड़े सुधार की ओर सेनाएं

**नई दिल्ली, एजेंसियां** : देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए कई स्तरों पर सैन्य सुधार की प्रक्रिया चल रही है। दुश्मन के किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जहां सैन्य बलों के लिए अत्याधुनिक हथियारों का अधिग्रहण किया जा रहा है। वहीं, युद्ध की स्थिति में तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए देश के सैन्य ढांचे को पुनर्गठित भी किया जा रहा है। इसके तहत तीनों सेनाओं को मिलाकर दो से पांच थिएटर कमान बनाने की योजना है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जम्मू-कश्मीर के लिए एक अलग थिएटर कमान बनाने की भी योजना है, जिसमें खुफिया ब्यूरो को भी शामिल किया जाएगा। सेना के लिए गेम चेंजर साबित होने वाले इन सुधारों की जानकारी खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को दी।

जनरल रावत ने यहां पत्रकारों से कहा कि 2022 तक थिएटर कमान के गठन की संभावना है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि एयर डिफेंस कमान के तो अगले साल के मध्य तक ही अस्तित्व में आ जाने की उम्मीद है। इस कमान के तहत सेना के मिसाइल प्रणाली के साथ ही नौसेना की कुछ इकाइयों को भी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की चुनौतियों के लिए सेना के अलग थिएटर कमान का गठन किया जाएगा।

बिपिन रावत फाइल फोटो

**2021 के अंत तक पेनिनसुला कमान** : जनरल रावत ने कहा कि नौसेना के पूर्वी और पश्चिमी कमान को मिलाकर 2021 के आखिर तक पेनिनसुला कमान का गठन कर दिया जाएगा। इसका हेड नौसेना का कमांडर होगा। इसके जिम्मे सर क्रीक से लेकर बंगाल की खाड़ी में सुदरबन तक भारतीय समुद्री सीमा की सुरक्षा होगी। युद्धपोतों की तैनाती व संचालन संबंधी मामलों में कमांडर को सैन्य मुख्यालय से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। जनरल रावत ने बताया कि चीन से लगती देश की पूर्वी सीमा की सुरक्षा के लिए एक से दो कमान का गठन किया जा सकता है। इसी तरह पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा के लिए जम्मू-कश्मीर में अगल थिएटर कमान तो होगा ही, जम्मू के दक्षिणी भाग में अंतरराष्ट्रीय सीमा के लिए एक अलग कमान का भी गठन किया जाएगा।

**ट्रेनिंग-लाजिस्टिक्स थिएटर कमान** : सीडीएस ने बताया कि तीनों सेनाओं के लिए ट्रेनिंग व लॉजिस्टिक के लिए भी अलग से थिएटर कमान का गठन किया जाएगा। ट्रेनिंग कमान जहां सेना के तीनों अंगों के जवानों को एक समान और बहुआयामी ट्रेनिंग देगा, वहीं लाजिस्टिक थिएटर कमान सभी थिएटर कमान के बीच साजो-सामान पहुंचाने का काम करेगा। इसके अलावा विदेशों के थिएटर कमान के साथ तालमेल भी बिठाएगा।

अभी देश में कुल 17 कमान पेज>> 3